लोक सभा

*तारांकित प्रश्न सं.: *399*
उत्तर देने की तारीखः 08.01.2019

वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण

***399. श्रीमती भावना गवली (पाटील):**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उस योजना के उद्देश्य क्या हैं जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और इस प्रयोजनार्थ कितना बजट आबंटन किया गया;
(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त योजना के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के बीच जागरूकता की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचंद गेहलोत)

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 08.01.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *399 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बीपीएल श्रेणी से संबद्ध तथा बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यताओं/कमजोरियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" का कार्यान्वयन करता है, जिनसे उन्हें शारीरिक कार्य करने में यथा संभव आसानी हो सके। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण जैसे छड़ी, एल्बो क्रचिज, वॉकर्स/क्रचिज, ट्राइपॉड्स/क्वाडपॉड्स, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत, चश्मे निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। इस योजना का पूर्ण वित्तपोषण दिनांक 18.03.2016 को अधिसूचित वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियमावली, 2016 के तहत स्थापित वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना हेतु एससीडब्ल्यूएफ से 106.5 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय वयोश्री योजना को 1 अप्रैल, 2017 से नेल्लौर (आंध्र प्रदेश) में शुरू किया गया था। वर्तमान में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कुल 318 जिलों का चयन राष्ट्रीय वयोश्री योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। यह योजना "कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)", (इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है। डॉक्टरों/तकनीशियनों/अन्य पेशेवरों द्वारा प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए उनकी पहचान, संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से एलिम्को द्वारा आयोजित मूल्यांकन शिविर में अपेक्षित सहायक उपकरण प्रिस्क्राइब करने, हेतु की जाती है तथा इसके पश्चात अभिज्ञात लाभार्थियों को सहायक उपकरणों का वितरण शिविर आयोजित करके किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन शिविरों के आयोजन में एलिमको को सहयोग देने हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस मंत्रालय से नियमित पत्राचार भी किए जाते हैं। अभी तक, राष्ट्रीय स्तर पर कुल 70 वितरण शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 69,516 वरिष्ठ नागरिकों को 1,64,255 शारीरिक सहायक यंत्र प्रदान किए गए हैं।

******